



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

सि०/3834 - II 15

प्रकरण क्रमांक

/2015 पुनरावलोकन

हेमसिंह पुत्र श्री फूलचन्द जाति-देशवाली  
निवासी- बोडी तहसील-नसरुल्लागंज,  
जिला सीहोर, म0प्र0

---आवेदक

बनाम

जीवनसिंह पुत्र श्री जगन्नाथ जाति-  
देशवाली निवासी- बोडी तहसील-  
नसरुल्लागंज, जिला सीहोर, म0प्र0

---अनावेदक

पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 6/10/2015 पारित  
द्वारा माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (समक्ष श्री  
आशीष श्रीवास्तव सदस्य) के प्रकरण क्रमांक  
2159-पी0बी0आर0/15 निगरानी व उनवान हेमसिंह बनाम  
जीवनसिंह ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन निम्न

प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि अनावेदक जीवनसिंह द्वारा ग्राम बोडी तहसील नसरुल्लागंज,

दिनांक 26-11-15 को  
श्री जे० ए० गौड, आर०  
द्वारा प्रस्तुत।

26-11-15  
SD

26-11-15  
जे.एस.गौड  
एडवोकेट  
बया बाजार ग्वालियर

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Review 3834-II/15

जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-2-2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री जी० एस० गौड उपस्थित । उनके द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता के तर्क पर विचार किया । यह रिव्यु प्रकरण क्रमांक 3834-दो/2015 आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2159-अध्यक्ष 15 में पारित आदेश दिनांक 6-10-2015 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी ।</li> <li>2 अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।</li> <li>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण ।</li> </ol> <p>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है । रिव्यु आवेदन में राजस्व मण्डल के आक्षेपित आदेश में प्रत्यक्षदर्शी भूलों के होने का तथा निगरानी में के बिन्दुओं को विचार में नहीं लिए जाने का लेख है, किन्तु ऐसी कौन-कौन सी भूलें हैं और ऐसे कौन-कौन से बिन्दु हैं जिन पर विचार नहीं हुआ,</p>	

M

यह स्पष्ट नहीं किया गया है। रिव्यू ममो में आधार 3 से 6 में भी कोई नई बात नहीं लिखी गई है। ना ही तर्क के समय कोई ऐसा नया बिन्दु प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकाश में रिव्यू आवेदन ग्राह्य किया जाए। आवेदक की ओर से प्रस्तुत सभी रिव्यू के बिन्दु और आधार राजस्व मण्डल और अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेशों में विधिवत् और समुचित रूप से विचारित होकर निर्णीत हो चुके हैं। अतः इस रिव्यू आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यू प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हो। प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जाये।



10.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

M